पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 1703 /अका./का.प/2022 रायपुर, दिनांक 04/06/2022

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की छैसठवीं बैठक शुक्रवार दिनांक 03.06.2022 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः–

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति –अध्यक्ष

1.	डॉ. सी.डी. अगाशे	– सदस्य	8.	श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट	– सदस्य
2.	डॉ. एस.के. प्रसाद	– सदस्य	9.	श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का	– सदस्य
3.	डॉ. सौम्या नैय्यर	– सदस्य	10.	डॉ. एम.एल. नायक	– सदस्य
4.	डॉ. मधुलिका अग्रवाल	– सदस्य	11	श्री सोनाऊ राम नेताम	– सदस्य
5.	डॉ. शैलेन्द्र सराफ	– सदस्य	12	श्री सत्यनारायण शर्मा	– सदस्य
6.	डॉ. के.एन. शर्मा	– सदस्य	13	डॉ. लक्ष्मी ध्रुव	– सदस्य
7.	डॉ. ममता शर्मा	– सदस्य			

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव –सचिव

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.03.2022 एवं 01.04.2022 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः **संपुष्टि की गई।**

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.03.2022 एवं 01.04.2022 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः **सूचना ग्रहण की गई।**

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

3. वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंकेक्षण शुल्क के भुगतान की राशि रुपए 22,93,992.00 (रुपए बाइस लाख तिरानबे हजार नौ सौ बयानबे मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय :**स्वीकृति प्रदान की गई।**

4. राज्य शासन के आदेश कमांक 265/एफ2013–04–00416/वि/नि/चार, दिनांक 2–5–20022 के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुरूप विश्वविद्यालय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिनांक 01.05.2022 से सातवां वेतनमान में 17 प्रतिशत से बढ़ा कर कर 22 प्रतिशत किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :**राज्य शासन के आदेश कमांक 265/एफ 2013–04–00416/वि/नि/चार, दिनांक 2–5–20022 के परिपालन में विश्वविद्यालय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में महंगाई भत्ते के दर दिनांक 01.05.2022 से 17 प्रतिशत से बढ़ा कर कर 22 प्रतिशत किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

5. डॉ. (श्रीमती) अनुसुइया बघेल, प्राध्यापक, भूगोल अध्ययनशाला, सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 30,43,905.00 (रुपए तीस लाख तिरालीस हजार नौ सौ पाँच मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

6. डॉ. (श्रीमती) अनुसुइया बघेल, प्राध्यापक, भूगोल अध्ययनशाला, सेवानिवृत्त के उपरांत अवकाश नगदीकरण राशि रुपए 19,82,448.00 (रुपए उन्नीस लाख बयासी हजार चार सौ अड़तालीस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

7. श्री बी.एस. राजपूत, कक्ष अधिकारी सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 19,67,081.00 (रुपए उन्नीस लाख सड़सठ हजार इक्यासी मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

8. सत्र 2021–22 हेतु छात्रवृत्ति चयन समिति के गठन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः सत्र 2021–22 हेतु छात्रवृत्ति चयन समिति के लिए निम्नलिखित तीन संकायाध्यक्ष को चयन समिति हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया–

(1) संकायाध्यक्ष, जीव विज्ञान संकाय

(2) संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय

(3) संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय

9. वार्षिक परीक्षा 2022 की उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हेतु नोडल केंद्रों को अग्रिम प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः वार्षिक परीक्षा 2022 की उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हेतु नोडल केंद्रों को अग्रिम प्रदान करने हेतु पारिश्रमिक राशि रुपए 2,13,65,590.00 (रुपए दो करोड़ तेरह लाख पैसठ हजार पाँच सौ नब्बे मात्र) की 80 प्रतिशत राशि रुपए 1,70,92,472.00 (रुपए एक करोड़ सत्तर लाख बयानबे हजार चार सौ बहत्तर मात्र) स्वीकृति प्रदान की गई।

10. डॉ. हेमंत शर्मा, कनिष्ठ अधीक्षक के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 5,40,378.00 (रुपए पाँच लाख चालीस हजार तीन सौ अटहत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

11. श्री भगवान सिंह राजपूत कक्ष अधिकारी के सवोंनिवृत्त होने के फलस्वरूप अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 5,40,033.00 (रुपए पाँच लाख चालीस हजार तैंतीस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

12. पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग का वित्त निर्देश 07/2022, पत्र क्रमांक 202/एफ 2016–04–03289/वित्त नियम/चार दिनांक 08.04.2022 को अंगीकृत किए जाने हेतु कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ पस्तुत।

निर्णयः **वर्तमान वित्त निर्देश राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए है। अतः निगम/मंडल/आयोग/ विश्वविद्यालय में कार्यरत् कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के संबंध में मार्गदर्शन/स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित किया जाए।**

ग्रंथालय से प्राप्त प्रस्ताव :–

13. विदेशी ई–शोध पत्रिकाओं का क्रय बजट वर्ष 2022–23 से करने पर विचार करना।

निर्णय :**विदेशी ई–शोध पत्रिकाओं का क्रय बजट वर्ष 2022–23 में क्रय प्रक्रिया पूर्ण करने का अनुमोदन किया गया।**

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या–परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 02.06.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णयः **अनुमोदन किया गया।**

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित उद्यानों के वार्षिक रख–रखाव हेतु सहायक संचालक, उद्यान प्रमुख, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 35,59,548/–(रुपये पैतीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ अड़तालीस) के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्राक्कलन राशि की 50% राशि रु. 17,79,774/– (सत्रह लाख उन्यासी हजार सात सौ चौहत्तर मात्र) का किए गए भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णयः **विश्वविद्यालय परिसर में स्थित उद्यानों के वार्षिक रख–रखाव हेतु सहायक संचालक, उद्यान प्रमुख, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 35,59,548/–(रुपये पैतीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ अड़तालीस) के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्राक्कलन राशि की 50% राशि रु. 17,79,774/– (सत्रह लाख उन्यासी हजार सात सौ चौहत्तर मात्र) का किए गए भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के मद से निर्मित 3 उद्यानों (मुख्य प्रवेश द्वार के दाईं ओर निर्मित उद्यान, प्रशासनिक भवन एवं कला भवन के मध्य का निर्मित उद्यान तथा भू–विज्ञान अध्ययनशाला में निर्मित उद्यान) का वार्षिक रख–रखाव छत्तीसगढ़ शासन के उद्यानिकी विभाग से नियमानुसार कराने हेतु स्वीकृति दी गई।

3. विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में रूसा योजना के तहत रेनोवेशन कार्य के अतिरिक्त कार्य आडियो–विडियो एवं स्टेज लाइटिंग हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 71,98,412/– (रुपए इकहत्तर लाख अंठ्यानबे हजार चार सौ बारह मात्र) में से राशि रु. 29,32,412/– (रुपए उनतिस लाख बत्तीस हजार चार सौ बारह मात्र) के भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **स्वीकृति प्रदान की गई।**

4. विश्वविद्यालय में लोक निर्माण विभाग से डिपाजिट वर्क के अंतर्गत कराए जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु प्रस्तुत प्राक्कलन राशि का 100% भुगतान पश्चात् निर्माण कार्य कराए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग के ज्ञाप क्रमांक 3468/तक./11–1/22–23 दिनांक 25.05.2022 के परिपालन में प्राक्कलन राशि का 100% भुगतान करने पर ही निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित करने के पत्र को अंगीकृत किया गया।

5. विश्वविद्यालय परिसर की खराब सड़कों के सुधार एवं डामरीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि की 50% राशि रु. 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) का भुगतान कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.–03 रायपुर को किया गया है तथा प्राक्कलन राशि की शेष राशि रु. 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) के भुगतान किए जाने की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

6. विश्वविद्यालय परिसर में एकीकृत परीक्षा भवन निर्माण हेतु आर्किटेक्ट फर्म Bharti Associates Raipur द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन राशि रु. 2.84 करोड़ (रुपए दो करोड़ चौरासी लाख मात्र) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विद्युत/यांत्रिकी संभाग क्र. 3, रायपुर, छत्तीसगढ़ को भुगतान किए जाने के संबंध में कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग के ज्ञाप क्रमांक 3468/तक./11–1/22–23 दिनांक 25.05.2022 के अनुसार 100% राशि के भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

7. विश्वविद्यालय परिसर में प्रस्तावित गर्ल्स हॉस्टल एवं गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु अनुबंधित वास्तुविद फर्म श्रीवास्तवा बागरेचा एंड एसोसिएट्स, रायपुर द्वारा प्रस्तुत देयकों की कुल राशि रुपए 5,39,303/– (रुपए पाँच लाख उनचालिस हजार तीन सौ तीन मात्र) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

8. विश्वविद्यालय में गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु अनुबंधित आर्किटेक्ट फर्म श्रीवास्तवा बागरेचा एंड एसोसिएट्स, रायपुर के द्वारा तैयार किया गया ड्राइंग डिजाइन के अनुसार विस्तृत प्राक्कलन राशि रु. 3,74,11,000.00 (रुपए तीन करोड़ चौहत्तर लाख ग्यारह हजार मात्र) डिपोजिट वर्क के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.–3, रायपुर को भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

9. स्वर्ण पदक (Gold Medal) के लिए निर्धारित राशि रुपए 50,000/– (रुपए पचास हजार मात्र) से बढ़ाकर रुपए 1,00,000/– (रुपए एक लाख मात्र) किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 6 की कंडिका 32 के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं को दानदाताओं द्वारा प्रदत्त स्वर्ण–पदक (Gold Medal) के लिए निर्धारित राशि रुपए 50,000/– (रुपए पचास हजार मात्र) को बढ़ाकर रुपए 1,00,000/– (रुपए एक लाख मात्र) किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

10. वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा पूर्व कार्य सत्र 2021–22 का देयक राशि रुपए 2,63,07,439.00 (रुपए दो करोड़ तिरसठ लाख सात हजार चार सौ उनचालिस मात्र) के भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णयः राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, कांके रोड, रांची द्वारा वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा कार्य सत्र 2021–22 के परीक्षा पूर्व कार्य करने के पश्चात् देयक राशि रुपए 2,63,07,439.00 (रुपए दो करोड़ तिरसठ लाख सात हजार चार सौ उनचालिस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

11. छ.ग. भंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022) का विनियम 108 में शामिल करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर द्वारा अधिसूचना क्रं. एफ 20–70/2004/11/(6) नवा रायपुर, दिनांक 09/मई/2022 के द्वारा छ.ग. भंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022) को विश्वविद्यालय विनियम 108 में शामिल किए जाने का अनुमोदन किया गया।

12. कंप्यूटर विज्ञान अ.शा. के लिए 20 नग कम्प्यूटर क्रय हेतु रू. 13=00 लाख (रुपए तेरह लाख मात्र) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

13. विश्वविद्यालय के पं. रविशंकर शुक्ल प्रेक्षागृह के लिए ऑडिटोरियम चेयर क्रय हेतु रू. 73,94,030=00 की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

14. विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं के लिए 40 स्मार्ट बोर्ड CSIDC के द्वारा दर निर्धारण करने के पश्चात ई–मानक पोर्टल के माध्यम से क्रय करने हेतु रु. 1,00,30,000=00 (रुपए एक करोड़ तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

15. कैंपस एरिया नेटवर्क, वेबसर्वर एवं एंटीवायरस सर्वर के वार्षिक रख–रखाव हेतु फर्म Sai Info Services, No.-14, Shiv Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) को विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति के अनुशंसा एवं सक्षम स्वीकृति पश्चात दिनांक 13/03/2022 से 12/03/2023 तक 01 वर्ष के लिए अनुबंध किया गया है को वार्षिक रख–रखाव में रू. 10,62,000=00 (रुपए दस लाख बैसठ हजार मात्र) के व्यय के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **स्वीकृति प्रदान की गई।**

16. विश्वविद्यालय के Pre & Post Examination works के लिए स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **National Consumer Co-operative Federation of India Ltd. (NCCF), Adarsh Nagar, Kanke Road, Rachi द्वारा पूर्व में जारी किए गए निविदा एवं अनुबंध की शर्तों के आधार पर आगामी अकादमिक सत्र 2022–23 के लिए कार्य कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

17. संचालनालय, राज्य संपरीक्षा, अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र पृष्ठांकन क्र. सी.एस.ए/प्रति/1026 दिनांक 30.05.2022 के परिपालन में राजकीय विश्वविद्यालय के गैर–शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को सातवाँ वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.2016 से प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **अनुमोदन किया गया।**

18. विश्वविद्यालय चिकित्सा अधिकारी की अधिवार्षिकी आयु 62 से 65 वर्ष किए जाने के संबंध में वित्त निर्देश 50/2013 अंगीकृत किए जाने पर विचार करना।

निर्णयः **राज्य शासन के वित्त निर्देश 50/2013 को अंगीकृत किए जाने का अनुमोदन विशेष परिस्थिति के रूप में किया गया जो राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के अध्यधीन होगा।**

19. श्री सुरेश यादव, फाटोग्राफर (संविदा) को विश्वविद्यालय में संविदा कर्मचारी (पेंशन माइनस वेतन आधार पर) एक वर्ष हेतु पुनः नियुक्त किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **अनुमोदन प्रदान किया गया।**

<u>मानव संसाधन विकास केंद्र से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

20. श्री परदेशी राम भोई को सातवें वेतनमान में देय वेतनवृद्धि के फलस्वरूप देय एरियर्स राशि की भुगतान करने के स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णयः **श्री परदेशी राम भोई को सातवें वेतनमान में देय वेतनवृद्धि के फलस्वरूप देय एरियर्स राशि का भुगतान के संबंध में निर्णय लिया गया है कि –**

1. **छ.ग. शासन वित्त विभाग के पत्र क्र. 224/एफ 2016–04–03303/वित्त/ नियम/चार दिनांक 19 मई 2017 एवं पत्र क्र. 226/एफ 2016–04–03303/ वित्त/नियम/चार दिनांक 19 मई 2017 छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के प्रावधानानुसार, उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारण अनुमोदन के अध्यधीन,**

विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय वर्ग कर्मचारी श्री परदेशी राम भोई को दिनांक 01.07.2021 से पुनरीक्षित वेतनमान में निम्नानुसार वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृति –

क्र.	कर्मचारी का नाम	वेतन मैट्रिक में विनिर्दिष्ट लेवल	पुनरीक्षित वेतनमान में पूर्व वर्ष में प्राप्त वेतन	आगामी वेतनवृद्धि तिथि	देय वेतन
पदनाम – निम्न वर्ग लिपिक– वेतनमान 5200–20200+4300					
01	श्री परदेशी राम भोई	08	60400/–	01.07.2021	62200/–

2. **श्री परदेशी राम भोई को दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.03.2017 तक का कुल एरियर्स की राशि आयकर कटौती एवं भविष्य निधि कटौती के साथ कुल रु. 6,18,668.00 (रुपए छः लाख अठारह हजार छः सौ अड़सठ मात्र) का भुगतान किया जाए।**
3. **श्री परदेशी राम भोई को दिनांक 01.04.2017 से 31.07.2018 तक के एरियर्स राशि रु. 2,17,381.00 (रुपए दो लाख सत्रह हजार तीन सौ इक्यासी मात्र) का भुगतान राज्य शासन के आदेश पश्चात् किए जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन एवं स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>मानव संसाधन विकास केंद्र से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

21. मानव संसाधन विकास केंद्र (HRDC) का Academic Advisory Committee की बैठक दिनांक 18.05.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

<u>अतिथि गृह एवं शिक्षक आवास से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

22. अतिथि गृह (Guest House) तथा शिक्षक आवास (Teachers Hostel) के कक्षों के वर्तमान दर में वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः अतिथि गृह (Guest House) तथा शिक्षक आवास (Teachers Hostel) के कक्षों के वर्तमान दर में निम्नानुसार वृद्धि करने का अनुमोदन किया गया।

क्र.		वर्तमान दर (प्रति कक्ष/प्रतिदिन)	प्रस्तावित दर (प्रति कक्ष/प्रतिदिन)
1.	परीक्षा, शोध एवं विश्वविद्यालय कार्य हेतु आमंत्रित अतिथियों हेतु	रु. 200.00	रु. 400.00
2.	अन्य विभागों एवं निजी अतिथियों हेतु	रु. 300.00	रु. 700.00
3.	शिक्षक आवास हेतु (Teachers Hostel)	रु. 200.00	रु. 300.00
4.	अतिथि गृह डारमेट्री	रु. 100.00 प्रति व्यक्ति/प्रति दिन	रु. 100.00 प्रति व्यक्ति/ प्रति दिन–यथावत्

23. गेस्ट हाऊस की इम्प्रेस्ट राशि रु. 10,000.00 (रुपए दस हजार मात्र) से बढ़ाकर रु. 20,000.00 (रुपए बीस हजार मात्र) किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

<u>संपदा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

24. अर्जित भू–अधिग्रहण में अतिरिक्त मुआवजा राशि भुगतान के संबंध में अद्यतन की गई कार्यवाही के संबंध में सूचना पर विचार करना।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

25. इलेक्ट्रानिक्स विभाग के लिए क्रय किए गए उपकरण पर व्यय राशि रु. 14,48,304.00 (रुपए चौदह लाख अड़तालिस हजार तीन सौ चार मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

1. श्री बी.पी. भवंर, सहायक यंत्री को यांत्रिकी विभाग का प्रभार देने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः दिनांक 12.09.2011 में कार्यपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अंतर्गत श्री बी.पी. भंवर के बहाली शर्तों को शिथिल करते हुए, उन्हें उनके मूल पद एवं विभाग पर कर्तव्यस्थ करने तथा तात्कालिक आवश्यकताओं के आधार पर प्राप्त विधिक अभिमत के अनुसार लंबित न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 551/2010 के अध्यधीन, प्रभारी विश्वविद्यालय यंत्री के पद पर पदस्थ करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

2. विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह में स्टेज पर एल.ई.डी. वॉल स्क्रीन क्रय किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह में स्टेज पर एल.ई.डी. वॉल स्क्रीन (एवं उसके लिए आवश्यक उपकरण सहित) क्रय किए जाने हेतु अनुमानित राशि रु. 1,50,00,000/– (रुपए एक करोड़ पचास लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

3. इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कार्पस फण्ड पर विचार करना।

निर्णयः इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कार्पस फण्ड बनाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

4. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3–33/2020/38–1, दिनांक 28.03.2022 के परिपालन में शिक्षा सत्र 2021–22 के सेमेस्टर परीक्षा मई–जून 2022 की परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3–33/2020/38–1, दिनांक 28.03.2022 के परिपालन में शिक्षा सत्र 2021–22 के सेमेस्टर परीक्षा मई–जून 2022 की परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति के लिए विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की अनुशंसा पर विनियम क्रमांक–182 E का अनुमोदन किया गया।

5. सत्र 2023–24 से इंटिग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (आईटीईपी) को पायलट बेसिस पर कोर्स प्रारंभ करने हेतु विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा किए जा रहे आवेदन के संबंध में सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

04/06/22

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 1704 /अका./का.प/2022 रायपुर, दिनांक 04 /06/2022

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

04/6/22

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)